

विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना

आवेदन पत्र सत्र.....

आवेदक का फोटो

- 1 आवेदक का नाम.....
2 प्रशिक्षणरत संस्था का नाम.....
3 डी.एल.एड.पाठ्यक्रम (सामान्य/संस्कृत).....
4 पाठ्यक्रम में प्रवेश का वर्ष.....
5 विधवा अथवा परित्यक्ता.....

नोट:-

विधवा होने की स्थिती में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि तथा यह शपथ पत्र संलग्न करें कि पुर्णविवाह नहीं किया है। (शपथ पत्र नोटेरी द्वारा तस्दीकशुदा हो)

परित्यक्ता होने की स्थिती में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की प्रतिलिपि तथा यह शपथ पत्र संलग्न करें कि पुर्णविवाह नहीं किया है। (शपथ पत्र नोटेरी द्वारा तस्दीकशुदा हो) मुस्लिम महिलाओं के प्रकरणों में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री के अलावा अधिकृत काजी द्वारा जारी किया गया तलाकनामा भी मान्य होगा, परन्तु तलाकनामें के साथ समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा स्टाम पेपर पर निष्पादित एवं नोटेरी द्वारा तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो तलाक को प्रमाणित करते हों।

सत्यापन

मैं(नाम) यह सत्यापित करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई समस्त सूचनाएं सही हैं।

(हस्ताक्षर आवेदनकर्ता)

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक(नाम) को इस संस्था में शैक्षिक वर्षमें(पाठ्यक्रम का नाम) में प्रवेश दिया गया है। आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण संस्था के रिकार्ड के आधार पर सही है। अतः आवेदक को विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना के अन्तर्गत फीस पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

(हस्ताक्षर संस्था प्रधान)

नाम, पदनाम एवं संस्था की सील

**विधवा / परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना
आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली अतिरिक्त सूचना**

- | | |
|--|---|
| 1. आवेदनकर्ता का नाम | : |
| 2. पिता का नाम | : |
| 3. पति का नाम | : |
| 4. मोबाइल नं. | : |
| 5. निवास का पता | : |
| 1. ग्राम का नाम | |
| 2. ग्राम पंचायत | |
| 3. पंचायत समिति का नाम | |
| 4. विधानसभा क्षेत्र का नाम | |
| 6. आधार नामांकन संख्या
(छाया प्रति संलग्न करें) | : |
| 7. भासाशाह कार्ड संख्या | : |
| 1. ACKNOWLEDGEMENT ID | |
| 2. FAMILY ID | |
| (छाया प्रति संलग्न करें) | |
| 8. बैंक खाते का विवरण | : |
| 1. खाता संख्या | |
| 2. बैंक का नाम | |
| 3. बैंक शाखा का नाम | |
| 4. IFSC कोड | |
| 5. MICR कोड | |
| (पासबुक की छाया प्रति संलग्न करें) | |
| 9. बैंक खाते को आधार से लिंक कर लिया
गया है ? | : |
| (यह किया जाना अनिवार्य है) | |

(प्रार्थी के हस्ताक्षर)

संस्था प्रधान का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि इस संस्थान में डी.एल.एड. सत्र 2018-19 में प्रथमवर्ष/द्वितीयवर्ष की नियमित प्रशिक्षणार्थी है तथा विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत शुल्क पुनर्भरण हेतु आवेदन अग्रेषित किया जा रहा है।

हस्ताक्षर मोहर सहित

विधवा / परित्यक्ता मरणमंत्री संबल योजना

विधवा / परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत बीएसटीसी में अध्ययनरत छात्राओं के भिजवाये जाने वाले आवेदन के संबंध में चैक लिस्ट:-

1. आवेदन निर्धारित प्रपत्र में हो
2. आवेदन संस्था प्रधान द्वारा अग्रेषित हो
3. आवेदन में यह स्पष्ट उल्लेख करें कि छात्रा का प्रवेश किस वर्ष में हुवा है एवं वर्तमान में मैं किस सत्र में अध्ययनरत हूँ।
4. शुल्क पुनर्भरण राशि का वर्ष
5. आधार कार्ड की प्रति
6. भामाशाह कार्ड की प्रति
7. अभ्यर्थी के बैंक पासबुक की प्रति जिसमें बैंक का नाम,आईएफस कोड सुपाल्य हो।
8. विधवा होने की स्थिति में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति संलग्न करें,छाया प्रति मान्य नहीं होगी।
9. परित्यक्ता होने की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिकी संलग्न करें।
10. विधवा/ परित्यक्ता महिलाओं के पुनर्विवाह न करने का शपथ पत्र संलग्न करें, शपथ पत्र में पति के नाम का भी उल्लेख है। (शपथ पत्र नोटेरी द्वारा प्रमाणित हो) शपथ पत्र में यह भी उल्लेख करें कि जिस वर्ष हेतु शुल्क पुनर्भरण का आवेदन किया जा रहा है,उसका पुनर्भरण पूर्व में नहीं हुवा है।
11. परित्यक्ता मुस्लिम महिलाओं के प्रकरणों में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिकी के अलावा अधिकृत काजी द्वारा जारी किया गया तलाकनामा भी मान्य होगा परन्तु तलाकनामे के साथ समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा स्टाप्प पेपर पर निष्पादित तथा नोटेरी द्वारा तस्वीक शुदा शपथ पत्र प्रस्तुत करने होगे जो तलाक को प्रमाणित करते हों।
12. आवेदन के साथ कालेज आवंटन की संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
13. द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्राओं की प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
14. संस्था प्रधान यह सुनिश्चत करें कि छात्रा को पूर्व में जिस वर्ष हेतु आवेदन किया जा रहा है उसका शुल्क पुर्भरण नहीं हुवा है।
15. कालेज द्वारा लिये गये शुल्क की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
16. भामाशाह पोर्टल के माध्यम से लाभ हस्तान्तरण हेतु संलग्न प्रपत्र में सूचना अंकित करें।